सं0-87/2015/7460/62-2-2015-14एम0आई0/97टीसी-।।।ए

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 अगस्त,2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला योजना के अन्तर्गत प्रथम छः माही हेतु गहरी बोरिंग योजना (सामान्य व एस0सी0एस0पी0) एवं डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना (सामान्य व एस0सी0एस0पी0) एवं बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत सामूहिक नलकूपों के लिए आवंटित धनराशि के सापेक्ष की जाने वाली गहरी बोरिंगों में जल वितरण प्रणाली की स्थापना हेतु आई0एस0 कोड-14151 (पार्ट-2)/2008 के अन्तर्गत सहज संयोजी पालीएथिलीन पाइप, 100 एम0एम0 नामिनल डायामीटर, 0.25 एम0पी0ए0 (क्लास-1) मय आवश्यक फिटिंग्स के क्रय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-08/ल0सिं0/भ0आ0/डी0वी0 एच0डी0पी0ई0-110/2015-16, दिनांक 24-07-2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा क्रय समिति की बैठक दिनांक 20-07-2015 में लिए गये निर्णय के क्रम में निम्नलिखित विवरण/तालिका के अनुसार पाइप क्रय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

S. NO.	DESCRIPTION OF ITEM	REQUIRED QTY. UNDER AVAILABLE BUDGET	BASIC RATE EX-WORKS (RS.)	AVERAGE FREIGHT ANYWHERE IN U.P. AT THEIR CENTRAL DISTRICT STORE (RS.)	F.O.R. DESTINATION RATES EXCLUDING VAT ETC. (RS.) (4)+(5)
1	2	3	4	5	6

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-	ISI MARKED 110 MM NOMINAL DIAMETER, 0.25 MPA (CLASS-I) QUICK COUPLED POLYETHYLENE PIPE (HDPE PIPE) IN LENGTH OF 6.0 METER (± 0.01 METER) IS CODE 14151(PART-2):2008 WITH LATEST AMENDMENTS.	73,674 METER	139.00 PER METER	6.00 PER METER	145.00 PER METER
2-	ONE SET OF ISI MARKED FITTINGS (ONE NUMBER 90º BEND, ONE NUMBER 90º TEE, ONE NUMBER ENDS CAP AND ONE NUMBER PUMP CONNECTING NIPPLE) SUITABLE TO FIT WITH ABOVE PIPE IS CODE 14151(PART-2):2008 WITH LATEST AMENDMENTS,	515 SET	1121.00 PER SET	50.00 PER SET	1171.00 PER SET

नोट:- कालम-6 में दर्शायी गयी दरों के अतिरिक्त Vat etc. तत्समय प्रचलित दरों पर नियमानुसार अलग से देय होगा।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उघोग अनुभाग-7 के शासनादेश सं0-2177एल/18-7-94-15(एस0पी0)/92, दिनांक 17-10-1994 एवं शासनादेश सं0-711/18-7-98-15(एस0पी0)/97, दिनांक 19-5-1998 में दी गयी व्यवस्थानुसार गठित क्रय समिति द्वारा संस्तुति दे दी गयी है, चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला योजना (सामान्य व एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत गहरी बोरिंग की योजनाओं तथा डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजनान्तर्गत (सामान्य व एस0सी0एस0पी0) तथा बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत सामूहिक नलकूप योजना के अन्तर्गत की जाने वाली 515 बोरिंगों पर जल वितरण प्रणाली की स्थापना हेतु आई0एस0 कोड-14151 (पार्ट-2)/2008 के अन्तर्गत सहज संयोजी पालीएथिलीन पाइप, 100 एम0एम0 नामिनल डायामीटर, 0.25 एम0पी0ए0 (क्लास-1) मय आवश्यक फिटिंग्स सेट की प्राप्त आईटमवार दरों के आधार पर उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित विवरण/तालिका के अनुसार क्रय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है-

(i) उपर्युक्त सभी पाइप का क्रय टेण्डर प्रपत्र में उल्लिखित निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(ii) उक्त सामग्री का क्रय धन उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(iii) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग सम्पूर्ण आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।

(iv) उघोग अनुभाग-7 के शासनादेश सं0-2177एल/18-7-94-15(एस0 पी0)/92, दिनांक 17-10-1994 में दी गयी व्यवस्थानुसार यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत पाइपों का क्रय, सामग्री क्रय नियमों के अनुसार है और प्रस्तावित पाइप उघोग निदेशालय कानपुर द्वारा निर्णीत किये गये किसी दर अनुबन्ध के अन्तर्गत नही आता है।

(v) टेण्डर डाक्यूमेन्ट में उल्लिखित सभी प्राविधान फाइनेन्सियल हैण्ड बुक वैलुम-5 भाग-1 में उल्लिखित नियमों तथा टेण्डर संबंधी अन्य नियमों के अन्तर्गत है। क्रय समिति का गठन उघोग विभाग के शासनादेश के अनुकूल है तथा क्रय हेतु वांछित पर्याप्त धनराशि बजट में उपलब्ध है।

(vi) उक्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अक्षरश: एवं कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग का होगा।

() उपर्युक्त पाइप का भुगतान जिला योजना (गहरे तथा डा0 राम मनोहर लोहिया एवं बुन्द्रेखलण्ड पैकेज के अन्तर्गत् की जाने वाली गहरी बोरिंग हेतु उपलब्ध धनराशि से ही किया जायेगा।

भवदीय,
ह0/
(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

<u>सं0-87/2015/7460(1)/62-2-2015,तद्दिनांक:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, उघोग विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3- सचिव, लघु उघोग अनुभाग'-7, उ0प्र0 शासन।
4- उघोग निदेशक, (सामग्री क्रय अनुभाग) उ0 प्र0 कानपुर।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in